रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-94/0007/2003-05

Che Gazello Studio

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2003 (अग्रहायण 8, 1925) No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29—DECEMBER 5, 2003 (AGRAHAYANA 8, 1925)

. इस भाग में भिन्न पृथ्व संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—U॰ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सिम्मलित हैं] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

> यूको बैंक सामान्य (संशोधित) विनियम, 2003

UCO BANK Genral (Amendment) Regulations, 2003

युको बैक

कोलकाता, दिनांक 18 नवम्बर 2003

संदर्भ सं. प्र.का./विधि/1004/2003

यूको बैंक के निदेशक मंडल, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) विनियम, 1970 (1970 का 5), धारा 19 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए भारतीय रिजर्ब बैंक के परामर्श एवं कद्र सरकार से प्राप्त पूर्वानुमित से यूको बैंक सामान्य विनियम,1998 को पुनर्सशोधित करने हेतु निम्निलिखित संशोधन करते हैं , यथा

- (1) ये विनियम यूको बैक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 कहे जाएंगे।
 - (2) ये सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख़ से प्रभावी होंगे।
- 2. "यूको बक सामान्य विनियम,1998" को " यूका बैक (शेयर एवं मीटिंग) विनियम,2003" के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा।
- 3. यूको बक (संशोधन) विनियम, 2003 के विनियम 2 , यथापुनर्नामित, में
 - (i) खंड (इ.) के लिए निम्नलिखित स्थानापत्र होंगे, यथा
 - (-ड.) "समिति अर्थात विनियम 2 क के अंतर्गत गठित समिति"
 - (ii) खंड (ट) में निम्नलिखित शब्दों और आंकड़ों को अंत में अंतर्विष्ट किया जाएगा, यथा -
 - " के द्वारा अनुरक्षित हितकारी मालिकों के रजिस्टर एवं निक्षेप अधिनियम, 1966 (196 का 2) की धारा 11 के अंतर्गत निक्षेपागार "
- 4. विनियम 2 के बाद निम्नलिखित नए विनियम अंतर्विष्ट होंगे, यथा
- " 2 क (i) विनियम 67 के खंड (ii) में यथाउपबंधित को छोड़कर, जब कभी आवश्यक हो, इन विनियमों के प्रयोजनार्थ बोर्ड एक सिमिति गठित कर सकता है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति . में कार्यपालक निदेशक तथा दो और निदेशक, जब वे उचित समझें, होंगे।
- (ii) इस विनियम के अधीन गठित समिति बोर्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी ।":
- 5. विनियम 5 के खंड (v) को हटा दिया जाएगा ।

. निमियंम 5 के बाद निम्मितिकत विभियमों को अंतिकर किया जाएगा, ज्वा

"। गार्रक न्हें इसे कार्या में सम्बन्ध में कार्य समान के महिल हैं एक एक विकास कि कि हैं। गार्थिक न्हें हैं। गार्थिक न्हें हैं। इंकि में रात्राचीर के किपाथरार्थ कर तावरूर के उक्षित प्रस्त है और उस ति कि प्राप्त के काल कानून के मान के किपाथरार्थ कि गाम के प्रमुख कुछ हो। है अपने अपने अपने अपने अपने अपने किए। के दिन में एक भूड़ 755 गिर कार्का के हैं(1) के द

"। गाणाए १९१५ कार के उउनको के किमाधरार्थ कि कारपूर (ii)

। ग्राप्त फिक्नी तिभीष्रिकतार कि किए "में हिमाम के मिस शिजीया?" एए नाष्ट्र के जिए नड़ - "में हिमाम के मिस्र" में (ii) डांड के रि मफनीही .र

8. निमयम हे के खंड (ii) में निम्नीलित खंड जोड़े जाएंगे, यथा

"। गागुगा ।।। -छा एक इस्प्रेम किपीड़िक के अधिक के अधिक किपीड़िक का 21) में निवत रहा होता है अधीन इनेक्ट्रीनक किपीड़िक का ख-

टे गुन्ति के ज़िन्नष्ट 0001 तीर" प्रगम्प के जिन्नष्ट " ज़्म प्रक के ग्रम्प टे ग्रन्ति के ज़िन्नष्ट 001तिर" में (ii) टॉन्ड के 11 मफनीड़ी .0

, में हा मधनीने .11

राकता है। पत होते अनिधिक अवधि एवं एक साथ 30 दिनों से अनिधिक अवधि के लिए, शेपरधारकों के रिजरूरर को बंद कर किकी होनेवाले अविध के भावार है माना है। मह है मह किकी भी अविध के लिए, लेखि के में निर्मार के साथ सूचीबद्ध करार का अनुपालन सुनिष्टिक करने पश्चात मात हिनों से अनिष्ठ समय में भारत में "I.ك. रिजस्टर को बंद करना - अगर केंक की राय में आवश्यक हो तं बक,प्रयोज्य दिशा-निर्देशक भिद्धांतों एवं शेयर

। Пग्राष्ट (v) रांछ (ii) । गंगार प्रकी तिभाष्यतीर इंदर " ग्रिकिशीर प्रमंह इंकि के डीकि मुप्तर

"नए या ड्रिप्लकेट श्रेयर प्रमाण-पत्र जारी करना।" - 12. विनियम् 15 में श्रीवस्य प्रमाण-पत्र का नवीकरण " शब्द को लगह निम्मिलिक्त प्रतिस्थापित किया जाएगा अथांत

ाष्ट्र , ग्णार प्रको जगास्त्रातार त्रधी।भीनमी प्रमास के (v) हेए (iii) इंछ में 71 मधनीही .EI

" । फ्रिडिंग कि तिर्गितंहरू हुई म्प्रक करूप : म्यू कि तछाती तक्ट विष्कंद्र एरतंहर झाद्र कं प्रशास प्रमाह म क्षम के एएफोर के कड़ प्रिश्निम एउड़ डेबि एडि छाए के डकड़ी और म्झायनी के एएकिएं के उपर्ष तापंद्र दि डेकि उपर , मार के सम्-ाणाम् प्रभिष् के मार अने के पास अग्रीवित के पास अग्रीहित के प्रमुख्य हो। १ विस्हार हो १ विस्तु । विस् त्राय प्रमाय के हाथा के हाथ के साथ उक्त काथ उक्त हिंह प्रम निंह त्यार कि कर तिहास कि साथ के साथ के स्थाय के स्थाय के स्थाय कि स्थाय कि के निरम् के होते हैं। अपन

व्याख्या :- " तकनीकी अपक्षाओं " का आशय है -

- (क) अंतरण विलेख पर विधिवत टिकट लगा हो।
- (ख) अंतरण संबंधी विलेख में दी गई प्रमाण -पत्र संख्या या विशिष्ट संख्या शेयर प्रमाणपत्र में दी गई प्रमाणपत्र संख्या या विशिष्ट संख्या से मेल खाती हो।
- (ग) अंतरक के हस्ताक्षर मेल खाते हो।
- (घ) अंतरण विलेख साहियत हो।
- (iv) इसके बाद आनेबाले विनियम 19 के अधीन अंतरण सूचीबद्ध करने से इनकार नहीं किए जाने की स्थिति में बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत समिति अंतरण को पंजीवृत्त कर लेंगे।
- (v) इसके ब्हद आनेवाले विनियम 19 के तहत अंतरण सूचीबद्ध करने से इनकार नहीं किए जाने की स्थिति में अंतरण लिखत के प्रस्तुत करने के 60 दिनों के अंदर विधिवत अंतरित शेयर प्रमाण -पत्र हस्तांतरिती के सुपुर्द किए जाएंगे।
- .4. विनियम 19 में -
- (i) खंड (i) में "बोर्ड इनकार कर सकता है " शब्दों के स्थान पर " बोर्ड या समिति इनकार कर सकती है " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) खंड (i) के परंतुक को बाद दिया जाएगा।
- (iii) खंड (ii) में -
- (अ) प्रारंभ के शब्द "बोर्ड " के स्थान पर " बोर्ड या सिमिति" प्रतिस्थापित होंगे।
- (आ) उप-खंड (आ) में निम्नलिखित उप-वाक्य प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात

"अगर ऐसी राय हो कि उपविनियम (i) में वर्णित किसी भी आधार पर पंजीकरण को इनकार किया जाता है तो अंतरण विलख प्राप्त होने की तिथि स 60 दिनों या संबद्ध शेयर बाजार द्वारा सूचीकरण करार में निर्धारित अविध के अंदर अंतरक एवं हस्तांतरिती को इनकार का कारण बताते हुए सूचित किया जाएगा।"

- 15. विनियम 21 में निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी , अर्थात
- " व्याख्या इस विनियम के अंतर्गत, सूचीकरण के लिए शेयरधारक की पात्रता समाप्त हो सकती है,-
 - (क) अगर वह किसी नाबालिंग हो और नाबालिंग बालिंग हो गया हो ;
 - (ख) अगर वह कर्ता के रूप में शेयरधारक हो और अब वह कर्ता नहीं है।"
- 16. विनिमय 32 में , "एतदर्थ बोर्ड के संकल्प द्वारा " के स्थान पर "एतदर्थ विनियम 31 के अध्यधीन समग्रहरण की सूचना-अविध बीत जाने के बाद आयोजित होनेवाली इसकी अगली बैठक में बोर्ड के संकल्प द्वारा " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 17. विनियम 44 में, "बैंक का कोई अन्य अधिकारी " के स्थान पर "कंपनी सचिव या बैक के वेतनमान II सं अन्यून कोटि के कोई अन्य अधिकारी " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

म् एक र्क कार्राण र्क (ग्र.) डांड र्म २० मण्निली- ३।

- । ग्णाल प्रकी किशास्त्र माथ या इतिस्रोतिक माध्यम से " शब्द प्रात्र मिका प्राप्त किए जाणा। ा) किना पान होता पावती के या पावती के साथ " शब्दों के स्थाप " प्राव्हें के साथ " प्राव्हें के साथ " प्राव्हें के या पावती के साथ " प्राव्हें के साथ के सिकाप प्राप्त के सिकाप के
- प्रकी तिभीष्रितीर ऋष़ " में मक्र एग्राथाप्त के कार्ड " प्रण नाष्ट्र के काष्ट्र " डि तीष्ट्री किर्ह , प्र पाध्याम किनीड्रकिंह " (ii)
- fr III pipare . 91
- आएगा के अनुरूप एक या अधिक निक्षेपागार " से प्रतिस्थापित किया जाएगा। होए हि में (:इ) र एक या अधिक निश्नेपागार " क्रव्ये के " कि भियागार अधिनयम, 1966 की धारा र (डः) में दी गहुं
- । िम्मार प्रजी ज्ञान कि देरे ६५ ४४ मधनीनी (मं)
- । रिज़ान प्रकी त्रभीस्थापित है है कि की उपल प्रतिस्थापित किए जाहुंगे। 20. विनियम 56 के खंड (i) में "कोड़ भी प्राधिकृत आधिकारी" शब्दों के स्थान पर " वेतनमान VII से या कंपनी सिव स्
- त्रोशह, रिग्राए इंपि मफ्नीवी तडीलीन्मने ज्ञाह के 10 मफ्नीवी .12
- " का भत्ता के संबोधक "
- । फ़िंक क्रिएनी क्रिकिंग्र कि हुई ६५ डिएनी ति कि कि है। हुई । एवं उन्हें । एवं प्रति कि एक के अध्यक्ष में नानाम । अपन में प्रति कि कि कि कि कि कि कि कि म
- 1ई िक्छ उक्त त्रिए कि तकीरी हेड़ कि निष्ट पाउड़ किन्ह कि एएएक फिकी और ई किछ 15ड़
- ां कि क्ष्यड़ गुली के क्रिपृश्ने ग्रीफ कि स्कालम्ह कि कप्राध्प्रभिष्ट निष्ट्र मिड क्रि शिष्टिमक
- माण्रीम कंसह हम तीड्रम नाइतम १६ । व
- । गर्मं प्रकाशिक कि एहाँमी के तिक्रम-मार्गम कि अध्यक्ष के कर्क (i)
- । गागुर्गा का निवास उसी बैठक का निवास समझा नाएगा किसके संकल्प पर मतदान किया नागुर्गा।
- 22. विनियम 62 में खंड (iii) के पश्चात निम्निवित खंड मोहे नाएंगे, अथात
- "। गार्फ नीममृस्ह , कि नीक्ष्म भिर्म कि नीपूगार कि नीए गए एम्डीमी के उस नाल प्रकी गांम त्र (vi) " के महें एक होता कार्यवृत्त कि विवरण गुरितको के लिए ता किसी बैठक विश्रेष के कार्यवृत्त की प्राप्त व
- । गिंग्राच् ग्रकी तिभीष्णितीर ऋष " कप्राप्ट के रिप्रिष्ट म्यून्स हि 23. विनियम 65 के खंड (i) इंग्रह के उन्हों के अपछ के कि क्यें) शिव (कि क्यें) शिव के शब्दों के शबदों के श

UCO BANK

Kolkata, the 18th November 2003

No. HO/LAW/1004/2003

No .'A. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend UCO Bank General Regulations, 1998, namely,

- (1) These regulations may be called the UCO Bank General (Amendment) Regulations, 2003.
 - (2) They shall come into force . . . ine date of their publication in the Official Gazette.
- 2. "UCO Bank General Reg. ations, 1998" shall be renamed as "UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003".
- In Regulation 2 of UCO Bank (Amendment) Regulations, 2003, so renamed,
 - for clause (e), the following shall be substituted, namely: (e) "Committee means a Committee constituted under Regulation 2A"

- (ii) in clause (j), the following words and figures shall be inserted at the end, namely:-
 - "and register of beneficial owners maintained by and depository under section 11 of the Depository Act, 1996 (22 of 1996)".
- 4. after regulation 2, the following new regulation shall be inserted, namely:-
 - "2A(i) Except as provided in Clause (ii) of regulation 67, the Board may constitute, as and when necessary, a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director and two other directors as it may deem fit, for the purposes of these regulations;
 - (ii) The Committee constituted under this regulation shall observe such rules of procedure as may be specified by the Board ".
- 5. In regulation 5, Clause (v) shall be omitted.
- 6. After regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely:-
 - "5A(i) The Bank shall, unless the register is in such form as in itself to constitute an index, keep an index, which may be in form of a card index of the names of shareholders and shall, within fourteen days after the date on which any alteration is made in the register of shareholders, make the necessary alteration in the index.
 - (ii). The index shall be kept with the register of shareholders".
- 7. In regulation 7, in clause (ii) for the words "in case of firms", the words "in case of partnership firms " shall be substituted.

- 8. In regulation 8, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-
 - (iii) The register in electronic form shall be maintained subject to such safeguards as stipulated for securing electronic records under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).
- 9. In regulation 11, in clause (ii) for the words " at the rate of Rs.5/- for every 100 words", the words "at the rate of Rs.5/- or at such rate as the Board may decide for every 1000 words" shall be substituted.
- 10. For regulation 12, the following shall be substituted, namely:-
 - "12. Closing of the register- The Bank may, after ensuring compliance of the applicable guidelines and the listing agreement with the Stock Exchanges, and after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as may in its opinion, be necessary".

11. in regulation 13,

- (i) In clause (ii) for the words "some other officer appointed by the Board", the words "some other officer not below the rank of Scale II or the Company Secretary" shall be substituted;
- (ii) Clause (v) shall be omitted.

12. In regulation 15, for the heading "Renewal of share certificate" the following shall be substituted, namely:

"Issue of new or duplicate share certificate ".

- 13. In regulation 17, for the clauses (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - "(iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer along with a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Registrar or Share Transfer Agent for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer along with the share certificate, if any, to the transferee for resubmission unless the instrument of transfer is presented to the bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

Explanation: - "Illustrations of technical requirements" means

- (a) Transfer deed shall be duly stamped;
- (b) Certificate number or distinctive number mentioned in the transfer deed shall tally with the share certificate;
- (c) Transferor's signature shall tally;

- (d) Transfer deed shall be witnessed.
- (iv) The Board or the Committee designated by the Board shall, unless it refuses to register the transfer under regulation 19 hereinafter, cause the transfer to be registered.
- (v) Unless the transfer of shares is refused under regulation 19, the share certificate duly transferred shall be delivered to the transferee within sixty days from the date of lodging of the instrument of transfer.

14. In regulation 19:-

- (i) In clause (i) for the words "The Board may refuse", the words "The Board or Committee may refuse" shall be substituted;
- (ii) the proviso to clause (i) shall be omitted;
- (iii) in clause (ii)-
 - (a) In the opening portion for the words "The Board shall", the words "the Board or Committee shall" shall be substituted
 - (b) for sub-clause (b), the following sub- clause shall be substituted, namely:-

"If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub regulation (i) intimate the same to the Transferor and the Transferee by rictice in writing giving reasons for such refusal within 60 days from the receipt of transfer form or within such period as may be laid down in the Listing Agreement with the concerned Stock Exchange".

- 15. The following Explanation shall be inserted in regulation 21, namely:"Explanation- For the purposes of this regulation, a shareholder may
 - cease to be qualified for registration,-
 - (a) If he is a guardian of minor, on the minor attaining the majority;
 - (b) If he is holding shares as a Karta, on his ceasing to be a Karta".
- 16. In regulation 32, for the words "by a resolution of the Board to that effect" the words "by a resolution of the Board to that effect at its next meeting to be held after the expiry of the notice of forfeiture under regulation 31 "shall be substituted.
- 17. In regulation 44, for the words "any other Officer of the Bank", the words "Company Secretary or any other Officer of the Bank not below the rank of Scale II" shall be substituted.
- 18. In Regulation 46, in proviso to the clause (ii),-
 - (i) for the words " by registered post, with or without acknowledgement due, the words "by registered post, with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic mode" shall be substituted:
 - (ii) The words " or electronic media, as the case may be " shall be inserted after the words " ordinary course of post ".
- In Chapter III,-
 - in regulation 47, for the words "one or more depository ", the words one or more depository as defined in section 2(e) of the Depositories Act, 1996" shall be substituted;

- (ii) regulations 48 to 55 shall be omitted.
- 20. In regulation 56, in clause (i), for the words "any authorised official" the words "any officer not below the rank of Scale VII or Company Secretary" shall be substituted.
- 21. After regulation 61, the following regulations shall be inserted, namely:-"61A Scrutineers at Poll.
 - (i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.
 - (ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineers from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.
 - (iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder (not being an Officer or employee of the Bank) present at the meeting: provided, that such a shareholder is available and willing to be appointed.

61B. Manner of taking poll and result thereof.

- (i) The Chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken.
- (ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken".

- 22. In regulation 62, after clause (iii), the fallowing clause shall be inserted, namely;
 - "(iv) On written request made by a shareholder for inspection of the minute book or for a copy of the minute of a specified meeting, the Bank shall allow the inspection or furnish the copy of the minute, as the case may be, to the shareholder".
- 23. In regulation 65, in Clause (i), in sub-clause (a), for the words "holding 100 (one hundred) shares', the words "holding not less than 100 (one hundred) shares "shall be substituted.